न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 123/2016

1. श्री जब्बार अली पुत्र मुश्ताक।
2. श्री रफीक पुत्र जब्बार अली।
   समस्त जातिगण फकीर मुसलमान निवासी मनोहरपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
3. रूबीना नाबालिग पुत्री जब्बार अली जरिये प्राकृतिक माता एवं संरक्षिका खुद माता श्रीमती जरीना पत्नी जब्बार अली, जाति फकीर मुसलमान निवासी मनोहरपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मुश्ताक पुत्र मदारी खां जाति फकीर मुसलमान निवासी मनोहरपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।
3. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय सरवाड़ जिला अजमेर।

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री दौलत सिंह राठौड़, प्रार्थी।

निर्णय दिनांकः— 05.12.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वादवर्णित आराजी मौजा ग्राम मनोहरपुरा एवं लक्ष्मीपुरा तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
244—234	404	01—00—00	बा.3
	413	00—15—00	गै.मु.पाल
	414/1	04—06—00	बा.3
	414/2	01—04—00	बा.3
	418	00—18—00	बा.3
	424	00—06—00	गै.मु.चाह
	425	04—05—00	बा.3
कुल किता	**7**	**12—14—00**	
320—304	797/5	05—00—00	बा.सो.

वाकै ग्राम लक्ष्मीपुरा, पटवार क्षेत्र मनोहरपुरा में स्थित आराजी का विवरण

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
55—56	323	10—06—00	बा.3

यह कि वादवर्णित उक्त आराजीयात प्रार्थी सं. 1 के दादा व प्रार्थी सं. 2 व 3 के परदादा श्री मदारी खां की खातेदारी आराजीयात है। मदारी खां व उनकी पत्नी बशीरन की मृत्यु हो चुकी है। यह कि वादवर्णित उक्त आराजीयात पुश्तैनी एवं पैतृक भूमि है तथा प्रार्थीगण के दादा/परदादा की खातेदारी की भूमि होने से वादीगण का उक्त आराजीयात में जन्म से हक अधिकार है। वर्तमान में उक्त आराजीयात में प्रार्थी सं. 1 के पिता व प्रार्थी सं. 2 व 3 के दादा श्री मुनीर खां के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है। यह कि वादवर्णित आराजीयात में अप्रार्थी सं. 1 उक्त पैतृक भूमि से प्राथीगण को उनके हिस्से की भूमि से वंचित

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

करने की भावना से ग्रसित होकर प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। इस बाबत् उक्त अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 19.10.16 को एलानिया धमकी दी कि में राजस्व रिकॉर्ड में मेरे हिस्से में दर्ज भूमि को अन्य व्यक्ति को मेरी इच्छानुसार बेचान करूंगा तथा तुम्हें जबरन बेदखल कर दूंगा। प्रार्थीगण ने ऐसा नहीं करने बाबत अप्रार्थी से निवेदन किया परंतु वह नहीं माना। इसलिए उक्त अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण का अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से की आराजीयात में 1/2 हिस्सा आता है जिसके वे मालिक स्वामी है लेकिन उक्त वर्णित आराजीयात एकमात्र अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से की आराजीयात में प्रार्थीगण को 1/2 हिस्से की हद तक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने में सफल हो जाता है तो प्रार्थीगण को अजहद क्षति होगी। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाने का निवेदन किया। यह कि प्रार्थीगण का पृथम दृष्टया मामला है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।
प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः–

- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम मनोहरपुरा संवत् 2069–2072
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम मनोहरपुरा संवत् 2069–2072
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम लक्ष्मीपुरा संवत् 2069–2072

प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना अप्रार्थीगणों के अनुपस्थित रहने से अप्राथीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर जवाब बंद किया गया। प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्यों, बहस प्रार्थना पत्र व दस्तावेजों पर गहन विधिक मनन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः पृथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

प्रार्थी पृथम दृष्टया मामला अपने पक्षमें सिद्ध करने में असफल रहे है एवं ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जो विवादित आराजी की वर्तमान स्थिति अथवा प्रार्थी के कब्जे को सिद्ध कर सके। अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होती है।

प्रार्थी या अप्रार्थी के विवादित आराजी या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिए इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक विचारण उपरांत विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र या अप्रार्थी के प्रस्तुत जवाब पर।

चूंकि प्रार्थी अपने पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् सिद्ध करने में असफल रहा है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद तामील तकमील व तरमीम नंबर से कम की जावे तथा निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ (अजमेर)

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.12 14:10:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: